

# फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत : उपखण्ड अधिकारी

मुकाम : रावतभाटा

जगदीश

बनाम अजय कुमार

किस्म मुकदमा वाद-पत्र

नं०

२२

सन् २०२५

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इसमें जारी हुए
18 <sup>02</sup> 2026	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील वादी इपरियत। वकील वादी द्वारा साक्ष्य पेश करने का अवसर-चाहा। वादी वकील को न्यायस्थित में एक शक्तिग अवसर दिया जाता है पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी फिनांग 30/03/2026 को पेश हो।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)</p>	
30 <sup>03</sup> 2026	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील वादी द्वारा वाद-पत्र में निवेदन किया कि वादी की ओर से वाद-पत्र में कोई अग्रिम कार्यवाही नहीं चाहते हैं तथा वकील वादी द्वारा पत्रावली में Not-press किया अतः प्रकरण में वादी की ओर से कोई अग्रिम कार्यवाही नहीं चाहते व वकील वादी द्वारा पत्रावली में Not-press करने से वाद-पत्र इसी स्तर पर बिड़ों में खारिज किया जाता है, पत्रावली फिनांग कुमार लोक्य दर्ज रजिस्ट्र से कम की जाकर शामिल पत्र है।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)</p>	<p>Not Press [Signature]</p>